प्रेस नोट

14.08.2019

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत अवैध देशी बन्दूक (एसबीबीएल) व कारतूस के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना घोसी पुलिस द्वारा दिनांक 13.08.19 सायंकाल देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जयहिन्द का ईट भट्टा से शिवकुमार पुत्र बिट्टू राजभर निवासी सरायपड़ी थाना घोसी मऊ के कब्जे से अवैध देशी बन्दूक (एसबीबीएल) व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 323/19 धारा 3/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त–

1. शिवकुमार पुत्र बिट्टू राजभर निवासी सरायपड़ी थाना घोसी मऊ।

बरामदगी–

1. अवैध देशी बन्दूक (एसबीबीएल) व एक जिन्दा कारतूस 12 बोर।

थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत नाजायज चाकू के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। थाना घोसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कारीसाथ से नथुनी सोनकर पुत्र कन्हैया सोनकर निवासी कस्बा घोसी थाना घोसी मऊ के कब्जे से नाजायज चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 325/19 धारा 4/25 आयुध्द अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना रानीपुर क्षेत्रान्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार–

मऊ। अवैध शराब कारोबार/कारोबारियों के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 14.08.19 को देखभाल क्षेत्र व चेंकिग के दौरान भुसुवां मोड़ से अजय उर्फ रोशन चौहान पुत्र रामरवि चौहान निवासी मंडुसरा थाना रानीपुर मऊ के कब्जे 10 लीटर अवैध कच्ची शराब व मिलावटी सामग्री बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर उक्त अभियुक्त के विरूध्द मु0अ0सं0 143/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 14 व्यक्ति व वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

मऊ। जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 14.08.19 को थाना **दक्षिणटोला पुलिस** द्वारा पिन्टू यादव निवासी बरलाई थाना सरायलखन्सी, निखिल कुमार निवासी शीतलामाता पोखरा थाना कोतवाली, नागेश निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिणटोला, थाना **कोतवाली पुलिस** द्वारा महमूद निवासी मुन्शीपुरा, प्रवीण कुमार निवासी सहादतपुरा, जावेद निवासी अलीनगर थाना कोतवाली, थाना **मधुबन पुलिस** द्वारा रामनाथ, बब्लू, रामजीत निवासीगण कटघराशंकरा, शैलेष यादव निवासी लोकीपुर, कैलाशी तुरहा, सीमा तुरहा, नितू तुरहा, प्रभावती तुरहा निवासीगण रामपुर बैलौली थाना मधुबन मऊ को शांति भंग की आशंका में धारा 151 सीआरपीसी के अर्न्तगत व थाना **कोपागंज पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त** खुर्शीद पुत्र इब्राहिम निवासी अदरी थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

आज दिनांक 14.08.2019 को पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनुराग आर्य द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग अभियान के क्रम में स्वयं चेकिंग की स्थिति जानने के लिये पुलिस अधीक्षक कार्यालय से निकलकर जनपद गाजीपुर की सीमाओं के मार्गों पर लगाये गये पिकेट/बैरियर स्थानों की चेकिंग की गयी। इस दौरान रणवीरपुर, पीपरीडीह थाना सरायलखंसी, काझा थाना रानीपुर एवं सरसेना थाना चिरैयाकोट के बार्डर के महत्वपूर्ण वाले स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की प्रभावी व सघन चेकिंग कराये जाने हेतु उक्त समस्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को कड़े दिशा–निर्देश जारी किये गये। साथ ही साथ महोदय द्वारा रक्षाबंधन व स्वतन्त्रता दिवस 15 अगस्त के दृष्टिगत थाना चिरैयाकोट क्षेत्रार्न्तगत क्यूआरटी टीम व पुलिस बल के साथ फुट पेट्रोलिंग की गयी तथा सम्बन्धित को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

MEDIA CELL MAU